

## निःशक्तता पेंशन योजना

### 1. योजना के प्रावधानः-

निबंधित लाभुक जो पक्षाघात, कुष्ठ, यक्ष्मा या दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त होते हैं उन्हें निःशक्तता पेंशन के रूप में 500/- रूपये प्रतिमाह तथा अनुग्रह राशि 10,000/- रूपये एकमुश्त रूप में बोर्ड के द्वारा भुगतान किया जाता है।